राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	अपीलार्थीगण की ओर से	आलोच्य आदेश दिनांक
1.	3870/2025 ओमप्रकाश गुर्जर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर एवं अन्य।	श्री विनोद कुमार शर्मा, अभिभाषक	30.05.2024
2.	3871/2025 साधूराम			

प्रस्तुत करने की दिनांक : 13.08.2025
आदेश की दिनांक : 19.08.2025

समक्ष :– पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3870/2025 ओम प्रकाश गुर्जर बनाम प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

2. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वन रक्षक के पद पर रेंज खेतड़ी जिला झुंझुंनू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.03.2016 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को वन रक्षक के पद अलवर मंडल में नियुक्त किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.02.2024 के द्वारा वन रक्षक की वरिष्ठता सूची जारी की गई तथा वन रक्षकों में से किसी की वरिष्ठता के संबंध में आपत्ति आमंत्रित की गई। उक्त सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 950 पर अंकित है। अपीलार्थी एवं अन्य कार्मिकों ने उक्त वरिष्ठता सूची के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष आपत्तियों प्रस्तुत की एवं अपीलार्थी ने दिनांक 09.02.2024 (अनुलग्नक–2) को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपीलार्थी को गलत क्रमांक दिखाया गया है एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की वरिष्ठता भी गलत निर्धारित की गई है अपीलार्थी की वरिष्ठता कार्यग्रहण तिथि 21.03.2016 के अनुसार की जावे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा

अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार किये बिना ही दिनांक 30.05.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 987 पर गलत अंकित किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका कथन है कि उक्त अंतिम वरिष्ठता सूची में जिन अभ्यर्थियों ने वर्तमान अपीलार्थी के बाद कार्यग्रहण किया है तथा जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2017 में कार्यभार ग्रहण किया है, वे अपीलार्थी से वर्तमान में वरिष्ठ दर्शाये गये है, इसके बावजूद कि वरिष्ठता कार्यभार ग्रहण करने के आधार पर निर्धारित की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.05.2024 को अपीलार्थीगण की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थीगण की वरिष्ठता उनके कार्यग्रहण करने की दिनांक के अनुसार निर्धारित की जावे।

4. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

6. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

8. मूल आदेश अपील संख्या 3870/2025 ओमप्रकाश गुर्जर बनाम प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य(न्यायिक)